उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 2795–पारि0अनु0–16/पाट्राकालि–2018–74/2013 दिनांकः 27 जुलाई, 2018

निदेशक
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषयः <u>उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, में पंचम वेतन आयोग के आधार पर अनुमन्य अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01.07.2017 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण छठवें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित न हो पाने के फलस्वरूप उनके द्वारा पाँचवे वेतन आयोग के अन्तर्गत ही निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त किया जा रहा है, को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–05/2018/सा–3–113/दस–2018–301/2000 टी0सी0, लखनऊ दिनांक 05.03.2018 की अनुरूपता में उन्हें अनुमन्य हो रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2017 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत अनुमन्य होगीः–

तिथि जब से देय है	महंगाई राहत की मासिक दर
01 जुलाई, 2017	मूल वेतन का 268 प्रतिशत

2. मँहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उससे अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

3. छठवें वेतन आयोग के आधार पर अनुमन्य अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054– डब्लू0सी0/ रा0वि0प0– औ0सं0–19–14 (23) एफ–85,दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/कोषागारों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाईराहत का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जायेगा।

5. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

<u>निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)</u>

क्रमशः–2

संख्या : 2795–पारे0अनु0–16/पाकालि/18–74/2013/तदिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
6. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइड www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव (पारेषण)